आरक्षित निर्णय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय

नैनीताल।

श्री न्यायमूर्ति एस0के0मिश्रा, ए0सी0जे0

एवं

श्री न्यायमूर्ति एन0एस0 धानिक, जे0

फौजदारी संदर्भ सं0 05/2021

मध्य:

दिगर सिंह को दिये गये मृत्युदण्ड के प्रकरण में ....अपीलार्थी

एवं

उत्तराखण्ड राज्य ....प्रत्यर्थी

मय

फौजदारी अपील सं0 08/2022

मध्य:

दिगर सिंह ....अपीलार्थी

एवं

उत्तराखण्ड राज्य ....प्रत्यर्थी

अपीलार्थी के अधिवक्ता :विद्वान न्याय मित्र श्री अरविंद वशिष्ठ जिनकी सहायता विद्वान अधिवक्ता सुश्री शीतल सेलवा द्वारा की गई।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता :विद्वान उपमहाधिवक्ता श्री जे0एस0 विर्क जिनकी सहायता विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री आर0के0 जोशी द्वारा की गई।

आरक्षित दिनांक 24.02.2022

सुनाया गया दिनांक 19.05.2022

पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता को सुनने उपरान्त न्यायालय के द्वारा निम्नतः निर्णय दिया गया–

निर्णय: (एस0के0 मिश्रा, ए0सी0जे0)

इस फौजदारी संदर्भ में, दं0प्र0सं0, 1973 (जिसे यहां आगे सक्षिप्ता के लिए 'संहिता' कहा जा रहा है), की धारा 366 के तहत, विद्वान प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल के द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 11/2020 में पारित निर्णय दिनांकित 24.11.2021 एवं उसमें पारित मृत्यु दण्डादेश की शुद्धि को तथा संबंधित बन्दी, जिसे भा0दं0सं0

(जिसे यहां आगे सक्षिप्ता के लिए 'संहिता' कहा जा रहा है) की धारा 302 एवं 307 के तहत मृत्युदण्ड की सजा से दण्डादिष्ट किया गया है, को साथ में विचार किया जा रहा है।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय **अनोखी लाल बनाम मध्यप्रदेश राज्य, (2019) 20 एस0सी0सी0 196,** के अनुसार हम वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद वशिष्ठ को सम्बन्धित बन्दी अपीलार्थी की ओर से बहस करने के प्रयोजन से न्याय मित्र नियुक्त करते हैं।

3. अनावश्यक विस्तृतता को छोड़ते हुए अभियोजन का कथानक यह है कि दिनांक 07.10.2019 को एक बलजीत सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा थानाध्यक्ष, चोरगलिया को भूतपूर्व ग्राम प्रधान के माध्यम से सूचना दी गई कि दोषसिद्ध बन्दी दिगर सिंह कोरंगा के द्वारा उसकी माता का धारदार हथियार द्वारा सिर धड़ से अलग कर हत्या कर दी गई है। उक्त सूचना प्राप्त करने पर तत्समय चोरगलिया के थानाध्यक्ष श्री संजय जोशी पुलिस दल के साथ प्रश्नगत गांव में पहुंचे और पाया कि दोषसिद्ध बन्दी की माता जोमती देवी सिर धड़ से अलग मृत पड़ी है। तत्पश्चात, दोषसिद्ध बन्दी के पिता के द्वारा थानाध्यक्ष को सम्पूर्ण विवरण सुनाया गया, और बताया गया कि घटना दिनांक 07.10.2019 को लगभग 09:00 बजे प्रातः घटित हुई। उक्त सूचनादाता से उपरोक्त सूचना प्राप्त करने के उपरान्त थानाध्यक्ष द्वारा मामले में अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। अन्वेषण के दौरान उसके द्वारा उक्त फौजदारी प्रकरण को एफ0आई0आर0 नं0 62/2019 के रूप में दर्ज किया गया तथा जांच आख्या तैयार की गई, गवाहों के बयान लिये गये, मृत शरीर को पोस्टमॉर्टम जांच हेतु भेजा गया, मैटिरिअल आब्जेक्ट तथा आवश्यक दस्तावेज कब्जे में लिये गये एवं पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट व अन्य रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उसके द्वारा दोषसिद्ध बन्दी अपीलार्थी के विरूद्ध संहिता की धारा 302 एवं 307 के तहत आरोप पत्र प्रेषित किया गया। आरोप के स्तर पर अपीलार्थी के द्वारा अपराध से इनकार किया गया तद्नुसार संहिता के उपरोक्त प्रावधानों के तहत आरोप विरचित किये गये।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने दावे को साबित करने के लिए कुल 12 गवाह परीक्षित कराये गये। पीडब्लू 1 सोबन सिंह कोरंगा इस प्रकरण में मुकदमा वादी हैं। वह दोषसिद्ध बन्दी के पिता तथा मृतिका के पति हैं। पीडब्लू 2 बीना बिष्ट, पीडब्लू 3 देविका देवी, पीडब्लू 4 नैना कोरंगा (मृतिका की बहू) इस घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं। बाकी सभी गवाह आधिकारिक गवाह हैं। पीडब्लू 5 शिंतो देवसी के द्वारा मृतिका के शव का शव विच्छेदन परीक्षण किया गया है, पीडब्लू 6 उपनिरीक्षक भुवन सिंह राणा, पीडब्लू 7 उपनिरीक्षक दीपा जोशी उक्त प्रकरण में ऐसे दो पुलिस अधिकारी हैं जो अन्वेषण के प्रतिभागी हैं तथा जिनके द्वारा अन्वेषण के विभिन्न पहलुओं, जैसे–पंचनामा बनाने आदि में प्रतिभाग किया गया है। पीडब्लू 8 इन्द्रजीत सिंह एक स्वतंत्र साक्षी हैं और इस प्रकरण में चुटैल भी हैं। पीडब्लू 9 डॉ0 अंशुमन जोशी के द्वारा पीडब्लू 8 इन्द्रजीत सिंह का परीक्षण किया गया है। पीडब्लू 10

थानाध्यक्ष संजय जोशी, पीडब्लू 11 सुभाष सिंह एवं पीडब्लू 12 त्रिलोक राम बघरेठ इस प्रकरण में विवेचक रहे हैं। गवाहों के परीक्षण के अलावा अभियोजन पक्ष के द्वारा विभिन्न 35 दस्तावेजों व प्रदर्शों एवं 12 भौतिक वस्तुओं पर भरोसा किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से न तो किसी साक्षी का परीक्षण किया गया है।

5. चक्षुदर्शी साक्षीगण के बयानों मय चिकित्सीय साक्ष्य के विवेचन से तथा संहिता की धारा 313 के तहत दोषसिद्ध बन्दी द्वारा की गई संस्वीकृति के आधार पर विद्वान प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियोजन पक्ष संहिता की धारा 302 एवं 307 के तहत दोषसिद्ध बन्दी के विरूद्ध अपने प्रकरण को साबित करने में सफल रहा।

6. दण्ड के प्रश्न पर विचार हेतु विद्वान प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा अन्य विभिन्न उत्तेजक एवं गम्भीरता कम करने वाले अन्य तथ्यों को विचार में लेते हुए साथ ही **फौजदारी अपील सं0 2486–2487/2014 से सम्बन्धित पुनर्विलोकन याचिका (फौजदारी) संख्या 637–638/2015 बसन्ता सम्पत दुपारे बनाम् महाराष्ट राज्य,** पर भरोसा करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिस मां ने जन्म दिया हो वह मां भगवान के समान स्थान रखती है और एक बच्चे की परवरिश मां के द्वारा किये जाने का कोई विकल्प नहीं हो सकता इसलिए मां की हत्या का निःसंदेह समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा इसलिए उनका मत है कि उक्त प्रकरण विरले से विरले की श्रेणी में आता है जिसमें दोषसिद्ध बन्दी को मृत्युदण्ड की सजा एवं अर्थदण्ड दिया जाना चाहिए। उनके द्वारा यह भी पाया गया कि दोषसिद्ध बन्दी को धारा 307 भां0दं0सं0 के अपराध के लिए कठोर आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड का दण्डादेश दिया गया है।

7. श्री अरविंद वशिष्ठ विद्वान न्यायमित्र के द्वारा बहस के दौरान यह तर्क दिया गया कि इस तथ्य के मद्देनजर कि दोषसिद्ध बन्दी ने संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयानों में स्वीकार किया है कि उसने अपनी मां की हत्या की है इसलिए वे अपराध करने के सम्बन्ध में विद्वान प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज तथ्यों के निष्कर्षों पर बहस नहीं करना चाहते । यद्यपि उनके द्वारा आगे यह भी तर्क दिया गया कि वर्तमान मामला अपीलार्थी को मृत्युदण्ड देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है क्योंकि यह उस मापदण्ड के दायरे में नहीं आता है जिसमें मामले को विरले से विरले कहा जा सकता हो जहां मौत की सजा को छोड़कर सभी विकल्प बंद हों। उनका यह भी तर्क है कि केवल आजीवन कारावास व अर्थदण्ड का दण्डादेश ही होना चाहिए था। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि तद्नुसार मृत्यु संदर्भ को निस्तारित कर उक्त आपराधिक अपील का निस्तारण किया जाय।

8. राज्य की ओर से विद्वान उपमहाधिवक्ता श्री जे0एस0 विर्क के द्वारा तर्क दिया गया कि संहिता की धारा 313 की उपधारा 4 में प्रावधान है कि अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये किसी भी बयान या वस्तु को उसके विरूद्ध सबूत के रूप में इस्तेमाल किया

जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में चूंकि दोषसिद्ध बन्दी के द्वारा अपराध किया जाना स्वीकार किया गया है इसलिए तथ्य के प्रश्नों पर जाने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने वास्तव में इस तथ्य की सराहना की कि इस मामले में बहस करने वाले विद्वान न्यायमित्र ने इस तथ्य के प्रश्न को स्वीकार किया है, हालांकि मौत की सजा के प्रश्न पर श्री जे0एस0 विर्क के द्वारा मौत की सजा का एक साहसिक प्रयास किया गया है। हमारा यह मत है कि वे वर्तमान प्रकरण में मौत की सजा का समर्थन नहीं कर पाए।

9. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का विश्लेषण करने के बाद हमारी यह राय है कि अभिलेख पर उपलब्ध सबूतों की विस्तृत चर्चा में जाना आवश्यक नहीं है। इतना ही कहना पर्याप्त हेागा कि अभियोजन के पक्ष के गवाहों और सबूतों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है जबकि बचाव पक्ष अपने सबूतों में किसी भी तरह की सार्वभौमिकता सामने लाने में विफल रहा है।

10. हमने संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किये गये दोषसिद्ध बन्दी के कथनों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया। प्रश्न संख्या 8, 9, 10 उससे पीडब्लू 2 बीना बिष्ट के कथनों के सम्बन्ध में पूछे गए हैं। हम दोषसिद्ध बन्दी से किये गये सवालों एवं उसके द्वारा दिये गये जवाबों में इस्तेमाल किये गये सटीक शब्दों को उद्धृत करना उचित समझते हैं, जो इस प्रकार हैं–

> *''प्रश्न–8 अभियोजन साक्षी पीडब्लू 2 बीना बिष्ट के साक्ष्य में आया है कि साक्षी आप अभियुक्त की पड़ोसी हैं। दिनांक 07.10.2019 को प्रातः 08:30 – 09:00 बजे पीडब्लू 1 सोबन सिंह के घर में गुजर रही थीं तो उसने देखा कि आप अपने घर के आंगन में हाथ में दराती लेकर अपनी माता जोमती देवी को अपने हाथ में लिये दराती से गर्दन में वार कर रहे थे और आप अभियुक्त एक हाथ से अपनी माता के सिर के बाल पकड़े थे, एक हाथ से दराती से गर्दन में वार कर रहे थे। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?*

उत्तर– मैंने अपनी मां के बाल नहीं पकड़े थे।

> *प्रश्न–9 अभियोजन साक्षी पीडब्लू 2 बीना बिष्ट के साक्ष्य में यह भी आया है कि साक्षी के चिल्लाने पर साक्षी की सास देवकी देवी व मृतिका की बहु पीडब्लू 4 नैना कोरंगा भी मौके पर आ गए, तब भी आप दिगर सिंह अपनी माता के उपर वार कर रहे थे और वार करते–करते आपने अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया, उसके उपरान्त भी आप अपनी माता पर वार करते रहे। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?*

उत्तर– हां–हां, मैने मारा। इन गवाहों ने ठीक कहा।

प्रश्न– 10 अभियोजन साक्षी पीडब्लू 2 बीना बिष्ट के साक्ष्य के दौरान आप अभियुक्त दिगर सिंह को न्यायालय में भी पहचाना है और बताया कि आप उसके पड़ोसी हैं और आप अभियुक्त द्वारा ही साक्षी के सामने अपनी माता की हत्या कारित की। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर– ठीक कहा।''

11. प्रश्न संख्या 11, 12 व 13 में दोषसिद्ध बन्दी से उसके द्वारा मृतिका पर हमले के बारे में पूछा गया, जैसा कि पीडब्लू 3 देविका देवी एवं पीडब्लू 4 नैना कोरंगा ने भी अभी कथित किया तथा उसने भी ऐसा करना स्वीकार किया है। चूंकि यह केवल पहले के प्रश्नों की पुनरावृत्ति है इसलिए हमारी राय है कि उन्हें यहां उद्धृत करना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार वर्तमान प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्ष्य के रूप में गवाह मौजूद हैं जोकि मौजूदा परिस्थितियों द्वारा एवं घटना स्थल के सत्यापन, चिकित्सा रिपोर्ट एवं एफएसएल रिपोर्ट से समर्थित हैं। यहां पर दोषसिद्ध बन्दी की यह स्वीकृति भी है कि गवाह उसके विरूद्ध सही बोल रहे हैं। यहां तक कि प्रश्न संख्या 9 के उत्तर में उसने यह स्वीकार किया है कि अपनी मां की हत्या उसी ने की है।

12. संहिता की धारा 313 की उपधारा 4 यह प्रावधान करती है कि–

''(4) अभियुक्त द्वारा दिये गये जवाबों को उस जांच व विचारण में विचार में लिया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध किसी अन्य जांच व विचारण में किसी ऐसे अपराध के लिए, जो उसके द्वारा किया जाना दर्शित होता हो, साक्ष्य में पढ़ा जा सकेगा।''

13. इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा **धरनीधर बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य आदि** सपठित अन्य अपील **(2010) 7 एस0सी0सी0 759** में यह अवधारित किया गया है कि मात्र दोषसिद्ध बन्दी द्वारा संहिता की धारा 313 के अधीन किये गये कथन के आधार पर भी किसी फौजदारी वाद में दोषसिद्ध किया जा सकता है। हम मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उपयोग किये गये सटीक शब्दों का ध्यान देना उचित समझते हैं, जो निम्नानुसार हैं–

''नारायण सिंह बनाम् पंजाब राज्य, (1963) 3 एस0सी0आर0 678 *में प्रावधानित विधि का अनुसरण करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा* ***महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव सिंह, (1992) 3 एस0सी0सी0 700*** *में इस प्रश्न का पुनः विनश्चय किया कि क्या संहिता की धारा 313 के तहत अंकित किये गये कथनों मात्र के आधार पर दोषसिद्धी की जा सकती है तथा यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त द्वारा दिये गये उत्तर को इस तरह की जांच या मुकदमे में ध्यान में रखा जा सकता है यद्यपि इस*

*तरह का जवाब शक्ति से सबूत ना हो तथा पैरा 52 में अवधारित किया कि: {**सुखदेव सिंह उपरोक्त**}*

''52. पहले सिद्धान्त पर भी हमें कोई कारण नजर नहीं आता कि न्यायालय मुकदमे के दौरान अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति या संस्वीकृति, जो संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज की गई हो, के आधार पर कार्यवाही क्यों नहीं कर सकता''

14. इस प्रकार से यह विधि का सूस्थापित सिद्धान्त है कि विचारण के दौरान संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति व संस्वीकृति पर कार्यवाही की जा सकती है और न्यायालय उसे दोषी ठहराने के लिए उसकी इकबालिया बयानों पर आगे बढ़ सकता है।''

15. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विद्वान न्यायमित्र द्वारा दी गई रियायत सारवान है और हम मौखिक एवं सहायक दोनों साक्ष्यों तथा संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी द्वारा किये गये संस्वीकृति के मद्देनजर विद्वाना प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा अपीलार्थी को भा0दं0सं0 की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध करके अभिलेख पर कोई त्रुटि नहीं की गई है। जहां तक दं0सं0 की धारा 307 के तहत अपीलार्थी को दोषसिद्ध किये जाने का सम्बन्ध है तो अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उसने प्रश्न सं0 14 के जवाब में यह कहा है कि उसने गांव वालों पर हमला किया था किन्तु पुलिस वाले पर नहीं किया था। तो इस न्यायालय के मत में धारा 302 एवं 307 दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्ध बन्दी की दोषसिद्धी के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

16. फिर हमें विद्वान न्यायमित्र के वैकल्पिक निवेदन पर विचार करना होगा, जिन्होंने कहा है कि यह मौत की सजा देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

17. इस बिन्दु पर मा0 उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा **माछी सिंह आदि बनाम् पंजाब राज्य, (1983) 3 एस0सी0सी0 470** के प्रकरण में व्यापक रूप से विचार किया गया था। पैराग्राफ संख्या 38 एवं 39 में मा0 उच्चतम न्यायालय ने, मा0 उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिये गये **बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एस0सी0सी0 684** में प्रतिपादित सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए यह अवधारित किया हुआ है कि–

'' 38. इस पृष्ठ भूमि में बच्चन सिंह के मामले में प्रतिपादित दिशानिर्देशों पर अमल करना होगा तथा प्रत्येक ऐसे मामले, जिसमें मौत की सजा देने का सवाल उठता है, पर लागू करना होगा। बच्चन सिंह के प्रकरण में निम्नलिखित प्रस्ताव सामने आते हैं–

i) अत्यधिक अपराधिता के गम्भीरतम मामलों को छोड़कर मृत्यु का चरम दण्ड देने की आवश्यकता नहीं है।

ii) मृत्युदण्ड का विकल्प चुनने से पहले अपराध की परिस्थितियों के साथ अपराधी की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

iii) आजीवन कारावास का एक सामान्य नियम है जबकि मृत्युदण्ड अपवाद है। दूसरे शब्दों में, मौत की सजा केवल तब ही दी जानी चाहिए जबकि अपराध की सुसंगत परिस्थितियों के मद्देनजर केवल आजीवन कारावास के दण्ड देने से अपराध की परिस्थितियों एवं प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास का दण्ड देना पूरी तरह अपर्याप्त सजा प्राप्त होता हो।

iv) उत्तेजक एवं कम करने वाली परिस्थितियों की एक बैलेंस सीट तैयार की जानी चाहिए और ऐसा करने में कम करने वाली परिस्थितियों को पूर्णभार दिया जाना चाहिए और विकल्प का प्रयोग करने से पहले गम्भीर और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच एक उचित संतुलन बनाया जाना चाहिए।''

18. पैराग्राफ 39 में मा0 उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा है कि उपर दिये गये दिशानिर्देशों केा लागू करने में न्यायालय को खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या अपराध के बारे में कुछ असमान्य है जो आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त बनाता है तथा मृत्युदण्ड की सजा की मांग करता है एवं क्या अपराध की परिस्थितियां ऐसी हैं कि अपराधी के पक्ष में की गई कम करने वाली परिस्थितियों को अधिकतम भार दिये जाने के बावजूद भी मृत्युदण्ड के अलावा अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं है।

19. यह निर्णय करते समय कि क्या अपराध असमान्य है, न्यायालय को ध्यान में रखना होगा कि इस तरह का अपराध आम तौर पर क्षेत्र में नहीं हुआ है, या जो अपराध किया गया है उसने समाज के बुनियादी ताने–बाने को हिला दिया है इसने न्यायालय के विवेक पर भी इतना प्रतिकूल प्रभाव डाला हो कि न्यायालय के पास मौत की सजा देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ना हो।

20. इस मामले में, यद्यपि विद्वान प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उत्तेजक व कम करने वाली अनेक परिस्थितियों को ध्यान में रखा है किन्तु उनके द्वारा वास्तव में उन दो प्रश्नों से नहीं निपटा गया है जिन्हें खुद से पूछा जाना था तथा **माछी सिंह (उपरोक्त)** के पैराग्राफ संख्या 39 में वर्णित सिद्धान्त के अनुसार उत्तर देना था।

21. हम **अबसार आलम उर्फ अफसर आलम बनाम बिहार राज्य, (2012) 2 एस0सी0सी0 728** के प्रकरण को विचार में लेते हैं जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस पर विचार किया गया कि क्या अपीलकर्ता द्वारा अपनी ही मां का सिर काटना दुर्लभ नहीं

है उस दुर्लभ मामले में जिसमें मौत की सजा दी जानी चाहिए क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा अपराध में जोश में आकर किया गया है न कि पूर्व चिंतन के बाद।

22. इस मामले में हम यह पाते हैं कि स्वयं एफ0आई0आर0 यह दर्शा रही है कि दोषसिद्ध बन्दी व मृतिका के मध्य झगड़ा हुआ था। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि दोषसिद्व बन्दी ने जानबुझकर, पूर्व चिंतन के साथ अपराध किया है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **अफसर आलम(उपरोक्त)** में प्रतिपादित सिद्वात वर्तमान प्रकरण पर भी पूर्ण रूप से लागू होता है।

23. इसके अलावा हम अगले पर यह भी देखते है कि दोषसिद्व बन्दी का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है जेल अधीक्षक की भी ऐसी कोई आख्या नहीं है कि कैद के दौरान उसने कोई दुव्यवहार किया हो यह भी देखा गया कि उसने संहिता की धारा 313 के तहत अपनी माता की हत्या करने को बड़ी साफगोई से स्वीकार किया है । इसलिए, हमारी राय में, मृत्यु दण्ड की सजा इस मामले के लिए उपयुक्त नहीं है और इसे दुर्लभतम मामला नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा मृत्युदण्ड की सजा ही जाती है जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि दोषसिद्व बन्दी का समाज में वापस आना समाज के लिए खतरनाक होगा तथा समाज में उन सभी के लिए खतरनाक होगा जो उसके संम्पर्क में आयंगे तथा न्यायालय को यह आशंका हो कि उसे समाज में वापस नहीं आना देना चाहिए जबकि इस संबंध में विद्वान प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का कोई निष्कर्ष नहीं है।

24. इसलिए, हमारी राय है कि अपील आंशिक रूप से सफल होनी चाहिए। इस मामले को देखते हुए, आपराधिक अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। धारा 302 एवं 307 के तहत दोषसिद्व बन्दी की दोषसिद्वी की पुष्टी की जाती है। लेकिन दण्ड संहिता की धारा 302 एवं 307 के अधीन दिए गए दण्ड आदेश को संशोधित करने के इच्छुक है। अपीलार्थी को दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 25000 रूपये का अर्थदण्ड भुगतना होगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड भुगतना होगा। दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी को 10 वर्ष तक के कठोर कारावास एवं 10,000/– रू0 अर्थदण्ड भुगतने के लिए निर्देशित किया जाता है। अर्थदण्ड न देने पर 06 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने के लिए निर्देशित किया जाता है।

25. फौजदारी अपील तदनुसार, आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, और आपराधिक संदर्भ का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

26. हम इस मामले में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद वशिष्ठ द्वारा सिद्धदोष बन्दी के लिए विद्वान न्यायमित्र के रूप में निःशुल्क पेश किए गए प्रयासों के लिए अपनी

प्रशंसा व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपराधिक अपील के निस्तारण में हमें बहुमूल्य सहायता प्रदान की है। और आपराधिक संदर्भ।

27. इस निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख सहित विचारण न्यायालय को तत्काल वापस भेजी जाय।

(एस0के0 मिश्रा, ए0सी0जे0)

(एन0एस0 धानिक, जे0)

दिनांकित 19.05.2022

निशान्त